राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : राजपत्रित / संस्थां / प्रीपीजी–2024 / 2024 / 136 दिनांक : 31 / 05 / 2024

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
समस्त अधीक्षक जेल, राजस्थान, अन्य नियंत्रण अधिकारी।

विषयः– प्री–पीजी 2024 में सेवारत कोटे से पात्र चिकित्सको के आवेदन पत्रों की अनुशंषा कर भिजवाने बाबत।

संदर्भः– निदेशालय के पत्रांक 125 दिनांक 15.05.2024 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रीपीजी 2024 हेतु आपके अधीन कार्यरत चिकित्सकों जिन्होंने एक वर्ष व उससे अधिक की अनिवार्य राजकीय सेवा सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में / मरू या जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में सेवां पूर्ण कर ली है एवं प्रोबेशन काल में कार्यरत चिकित्सक / जिनका प्रोबेशन काल दिनांक 30.04.2024 तक पूर्ण नही हुआ है, को प्री–पीजी में आवेदन करने के लिए संलग्न निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात संबंधित चिकित्सक इन्हे व्यक्तिगत रूप / पत्रवाहक के साथ मूल दो प्रतियों में दिनांक **31.05.2024 सांय 05.00 बजे** तक **उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.), राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय के कमरा नं. 19, स्वास्थ्य भवन, जयपुर** में जमा करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के कम में लेख है कि प्रीपीजी 2024 हेतु सेवारत कोटे का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र जमा करवाये जाने की तिथि को दिनांक 07.06.2024 तक बढाया जाता है।

शेष आदेश यथावत।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक : राजपत्रित / संस्थां / प्रीपीजी–2024 / 2024 / 136 दिनांक : 31 / 05 / 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (आर.सी.एच. / एड्स / ईएसआई / एमएसयू), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित), मुख्यालय।
5. **समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में पूर्णतया सत्य तथ्यों को अंकित करते हुए नियंत्रण अधिकारी से अनुशंषा करवाकर वर्णित दिनांक तक भिजवाना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि पश्चात प्रेषित आवेदन प्रपत्र स्वीकार नही किये जावेगे। गलत सूचना देने अथवा सूचना छुपाने पर पडने वाले विपरित प्रभाव के लिए चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होगा।**
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त पत्र अविलम्ब विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त नियंत्रण अधिकारियों को ई–मेल करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।